सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रामपुर एवं पीलीभीत जिलों में समेकित शिक्षा पर तुलनात्मक अध्ययन

रविन्द्र सिंह*
वेंकटेश्वरलु**

शिक्षा प्राप्त करना सभी बच्चों का अधिकार है तथा सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आज भारत में भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को एक मिशन के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा पर ज़ोर देने के साथ संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होने वाले उपयुक्त सभी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मन से हीनभावना को दूर कर उनमें सहनशीलता, सद्भावना, समानता एवं अनुशासन की भावना विकसित कर उनको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रस्तावना

सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन दुनियाभर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराये जा रहे हैं। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके घर से एक किमी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं तीन किमी. की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार, पूरे देश में 32 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई है। इनमें से 28 लाख (86.27%) बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं तथा एक लाख बारह हज़ार बच्चों को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम (School Readiness Programme) के माध्यम से कवर करने का संकल्प लिया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को 100% तक पहुँचाना है। इस लक्ष्य को पाना तभी संभव है जब देशभर के बच्चों को कम से कम

* *शोध छात्र,* एफ़ईएएस, एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली (उ.प्र.)
** *प्रोफ़ेसर* (स्पेशल ऐजुकेशन), एसओई, इग्नू, नयी दिल्ली

प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से उच्च स्तरीय स्कूली सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के द्वारा समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बस्तियों में स्कूली शिक्षा सुविधाओं के साथ बच्चों के 100% नामांकन और प्रतिधारण का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने सन् 2000 में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को एक मिशन के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के जीवन के लिए शिक्षा पर ज़ोर देने के साथ संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को सन् 2015 तक सभी राज्यों के साथ साझेदारी में रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक साक्षरता के प्रमुख सरोकारों और इसके कार्यान्वयन के लिए एक उत्साही पिच है। यह भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों के साथ सभी राज्यों में अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भारत सरकार का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम 192 करोड़ बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलाने का है। शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में 9570 नये प्राथमिक विद्यालयों और 13177 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जबकि 4832 प्राथमिक और 1218 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुनः निर्माण के अंतर्गत रखा गया है और 7338 नये शौचालय, 1,21,199 अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या, 2 लाख अतिरिक्त शिक्षकों एवं पैरा-शिक्षकों की नियुक्ति तथा 1:66 प्रतिशत से 1:45 प्रतिशत के शिक्षक-छात्र अनुपात को नीचे लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढाने के लिए निम्नलिखित रूप से पूर्वी क्षेत्रों में- बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, हरदोई, कुशीनगर आदि और पशचिमी क्षेत्रों में बरेली, एटा, पीलीभीत और रामपुर आदि तथा केंद्रीय क्षेत्र ललितपुर, बुंदेलखण्ड आदि जिलों को प्राथमिकता दी है।

रामपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान

रामपुर जिला प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण शैक्षिक स्थिति भी अत्यंत पिछड़ी हुई है क्योंकि शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है तथा आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब है, जिसके कारण अधिक गरीबी है तथा बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ है। रामपुर में सर्व शिक्षा अभियान सन् 2002 में शुरू हुआ था। उस समय पूरे जिले में 1272 स्कूल थे। कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं था और न ही कोई विशेष/संसाधन शिक्षक नियुक्त था।

रामपुर जिले में अल्पसंख्यकों की अधिकता के कारण शिक्षा का स्तर पूरे उत्तर प्रदेश में निम्नतम स्तर पर है। यूनिसेफ़ (United Nations Children's Educational Fund) द्वारा एक आह्वान कार्यक्रम सत्र 2010-11 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे जिले के सभी स्कूलों में एक कक्ष को शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा सजाकर रिसोर्स रूम तैयार कराया गया था। इस रिसोर्स रूम में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता

है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने के बाद से यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इन विशेष संसाधन शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई तथा ब्रिजकोर्स सेंटर एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दी जाने लगी। अत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा सामान्य बच्चों के सीखने की योग्यता में सकारात्मक एवं वांछित सुधार हुआ है।

पीलीभीत जिले में सर्व शिक्षा अभियान

पीलीभीत जिले की भौगोलिक स्थिति अच्छी न होने के कारण शैक्षिक स्थिति अत्यंत खराब है। इसके लिए भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में नदियाँ हैं जो हर वर्ष जुलाई से सितंबर तक तीन महीने बारिश होने से बाढ़ के रूप में कहर ढाती रहती हैं, जिसके कारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रहती है। साथ ही साथ इस जिले की एक सीमा पड़ोसी देश नेपाल से लगी हुई है। शारदा नदी के किनारे बसे गाँव नदी के पानी में बह जाते हैं, जिससे स्कूलों की स्थिति बदलती रहती है और इन बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती रहती है।

सर्व शिक्षा अभियान के शुरू होने से पहले पीलीभीत जिले की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि यहाँ शिक्षकों की काफ़ी कमी थी। पीलीभीत जिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में निम्न स्तर पर था, यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान सन् 2002 में शुरू हुआ था उस समय पूरे जिले में 1143 स्कूल तथा कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे और न ही कोई विशेष/संसाधन शिक्षक ही नियुक्त था, जिसके कारण शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी। परंतु भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान द्वारा इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष संसाधन शिक्षक नियुक्त किये गये। इन शिक्षकों ने बच्चों की पहचान करके स्कूलों में नामांकन कराया। इस प्रकार इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षकों द्वारा एवं सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाने लगा।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

सन् 1960 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समेकित करने की संकल्पना कई देशों में शुरू की गई थी। सन् 1970 में भी समेकित शिक्षा के क्षेत्र में नयी पहल के साथ अधिक आवश्यकता महसूस की गई तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जागरूकता अभियान जैसी सेवाएँ शुरू की जाने लगीं। विकलांगता वर्ष 1980 के बाद से दुनिया के हर कोने से लोगों के सामने ये तथ्य आने लगे कि विकासशील देशों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है, जो उन देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई है। यूनिसेफ़ द्वारा अनुमानित 100 विकासशील देशों में 6 से 15 वर्ष के 150 करोड़ बच्चे विकलांग श्रेणी में आते हैं, जिसमें से भारत में 30 लाख बच्चे एक या एक से अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। विकलांगता के साथ लोगों का प्रतिशत सन् 1931 की जनगणना की कुल जनसंख्या का 1.83 प्रतिशत था जो सन् 2001 की जनगणना की कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत हो गया।

पूरे देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा दिए जाने की चुनौती है, इसके लिए भारत सरकार ने सन् 1971 में समेकित शिक्षा शुरू किये जाने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियमित स्कूल तथा विशेष स्कूलों में शिक्षा मुहैया कराई गई है। समेकित शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समेकित विद्यालयों में शिक्षा दिलाना तथा उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना' जिससे ये बच्चे अपने जीवन को और अधिक अच्छी तरह से जी सकें तथा समाज के अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकें।

इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने लगे तथा उनकी शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण समितियाँ एवं संगठन सामने आने लगे। जैसे- माता-पिता परामर्श संघ, तथा अन्य एन.जी.ओ. (NGO) खोले गये हैं। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ मुफ़्त ड्रेस, खाना, किताबें तथा अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती है।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होने वाले उपयुक्त सभी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों के मन से हीनभावना को दूर कर उनमें सहनशीलता, सदभावना, समानता एवं अनुशासन की भावना विकसित कर उनको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अर्थात् विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर उनके सामाजिक तथा शैक्षिक अनुभवों को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार विशिष्ट बालक अपनी आयु के सामान्य बालकों में अधिक स्वीकृत एवं समायोजित होंगे। इससे उनके स्वबोध एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा उनका व्यवहार एक सामान्य बालक के व्यवहार के समान होगा। अर्थात् अपने परिवेश में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि 'प्रचलित शैक्षिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से है जो किसी तरह की अक्षमता अथवा विकलांगता के कारण प्रचलित पद्धति के अनुकूल नहीं पढ़ सके या वंचित रह गये।'

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन का अध्ययन।
2. प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में विशेष/संसाधन शिक्षकों के रवैये का अध्ययन।
3. प्राथमिक स्तर पर समावेशी विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उपलब्धि का अध्ययन

परिकल्पना

1. प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार होगा।
2. प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में विशेष/संसाधन शिक्षकों की अभिवृत्ति धनात्मक होगी।
3. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर समावेशी शिक्षा का धनात्मक प्रभाव होगा।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनसंख्या के रूप में मुरादाबाद मण्डल के रामपुर जिले एवं बरेली मण्डल के पीलीभीत जिले के उन प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया, जिनमें सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है।

न्यादर्श (Sample)

वर्तमान अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में मुरादाबाद मण्डल के रामपुर जिले एवं बरेली मण्डल के पीलीभीत जिले के प्राथमिक विद्यालयों में समेकित शिक्षा से संबंधित सभी विशेष/संसाधन शिक्षकों और कक्षा पाँच के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चुनाव किया जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

उपकरण

अध्यापक अभिवृत्ति मापनी।

अध्ययन विधि

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदत्तों के एकत्रीकरण हेतु सर्वेक्षण विधि (Survey Method) का प्रयोग किया गया।

मापन की प्रक्रिया

शोधकर्ता ने अध्ययन हेतु पर्यवेक्षक की मदद से प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के समावेशन के बारे में पता करने के लिए अध्यापक अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया है। प्रारंभ में प्रश्नों का निर्माण किया गया और इसके पश्चात् इस क्षेत्र से संबंधित दस विशेषज्ञ शिक्षकों को इसे आलोचनात्मक ढंग से पढ़ने के लिए दिया गया। विशेषज्ञ शिक्षकों

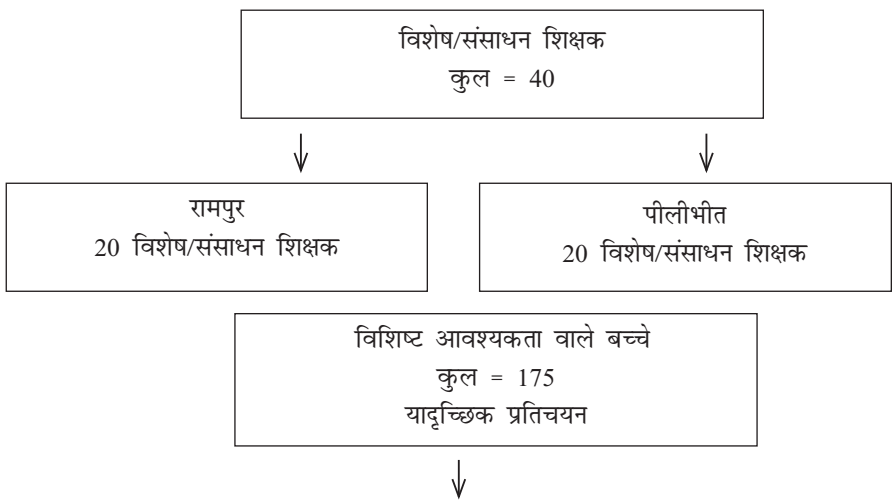

सत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
छात्र संख्या	25	25	25	25	25	25	25

के मूल्यवान सुझावों और उनकी सलाह के अनुसार अभिवृत्ति मापनी में परिवर्तन किया गया। इसके पश्चात् इसे ट्रायल के लिए दिया गया और इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन और परिमार्जन किया गया। अंत में पर्यवेक्षक की तकनीकी मदद से अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया। इसके उपरांत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया।

समावेशी शिक्षा हेतु अध्यापकों की अभिवृत्ति मापने हेतु 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इस मापनी में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न की अनुक्रिया हेतु अध्यापकों के समक्ष तीन श्रेणियों यानि सहमत, मालूम नहीं और असहमत को पेश किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

समावेशी शिक्षा व्यवस्था द्वारा कक्षा पाँच के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के निष्पत्ति स्तर पर प्रभाव को देखने के लिए बच्चों के पूर्व-परीक्षण एवं पश्च-परीक्षण द्वारा उनके शैक्षिक निष्पत्ति स्तर की जाँच की गई। कक्षा पाँच के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा चार की वार्षिक परीक्षा के अंकों को कक्षा पाँच के पूर्व-परीक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। पश्च-परीक्षण के रूप में विशिष्ट आवश्यकता वाले कक्षा पाँच के बच्चों की वार्षिक परीक्षा में इन बच्चों के ज़रिए हासिल किए गये अंकों को पश्च-परीक्षण के अंकों की शक्ल में स्वीकार किया गया।

समावेशी शिक्षा व्यवस्था का कक्षा पाँच के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के उनके शैक्षिक निष्पत्ति स्तर पर प्रभाव को जानने के लिए इन बच्चों द्वारा पूर्व-परीक्षण और पश्च-परीक्षण प्राप्त निष्पत्ति प्राप्तांकों के मध्यमान, मानक विचलन और फिर 'टी' टैस्ट की गणना की गई।

प्रमुख निष्कर्ष

1. दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से विक्षिप्त, शारीरिक विकलांग, अधिगम विक्षिप्त श्रेणियों के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की रामपुर एवं पीलीभीत जिले के प्राथमिक विद्यालयों की समावेशी कक्षाओं में नामांकन की दर घटी है।
2. रामपुर एवं पीलीभीत में समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में प्राथमिक विद्यालयों द्वारा वितरित उपकरणों में से एक या दो उपकरणों को छोड़कर बाकी उपकरणों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसमें पहले के वर्षों की तुलना में गिरावट आई है।
3. रामपुर एवं पीलीभीत जिले के प्राथमिक विद्यालयों में समेकित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियुक्त विशेष संसाधन शिक्षकों की संख्या बहुत कम पाई गई है।
4. प्राथमिक विद्यालयों द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए संचालित मेडिकल असेसमेंट कैंप की संख्या संतोषजनक है।
5. समेकित कक्षाओं के अंतर्गत अध्ययन करने वाले प्राथमिक विद्यालयों के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूलों में आने-जाने की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में रैम्प का निर्माण किया गया।

6. रामपुर एवं पीलीभीत दोनों जिलों के विशेष संसाधन शिक्षक यह मानते हैं कि समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इनकी अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के प्रति धनात्मक पाई गई।
7. समावेशी वातावरण का रामपुर एवं पीलीभीत जिले के कक्षा पाँच के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के निष्पत्ति स्तर पर धनात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

निष्कर्ष

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों और समस्याओं को लेकर बहुत से शोध-कार्य हुए हैं और इनके निष्कर्ष से यह पता चलता है कि इन बच्चों की ज़रूरतें सामान्य बच्चों से अलग होती हैं और जिनकी पूर्ति न होने के कारण वह कक्षा में दूसरे सामान्य बच्चों से पिछड़ते जाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक निष्पत्ति के स्तर पर उनके माता-पिता और उनके शिक्षकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रख्रति वर्णनात्मक और तुलनात्मक दोनों ही तरह की थी, क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन में एक ओर तो इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले प्राथमिक स्तर के बच्चों का उनकी समेकित कक्षाओं में समावेशन का अध्ययन किया गया। वहीं दूसरी ओर कक्षा के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर पर समावेशन के प्रभाव को जानने एवं समझने के लिए उनके निष्पत्ति प्राप्तांकों की पूर्व-परीक्षण (Pre-Test) एवं पश्च-परीक्षण (Post-Test) के आधार पर तुलना की गई। यह एक बहुत ही मजबूत तथ्य है कि भारत में अभी भी शिक्षकों और माता-पिता को 'समावेशी शिक्षा' के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। वे समावेशी शिक्षा के स्पष्ट प्रत्यय से अनभिज्ञता रखते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों की पहचान के बाद इनको एक ऐसा समावेशी वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य बच्चों के साथ मिलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अगर उनके माता-पिता व शिक्षकों और कक्षा के साथियों द्वारा पुनर्लक्षित किया जाए और उनकी मदद की जाए तो निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। विशेष कक्षाओं या विशेष व्यवस्था की तुलना में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी व्यवस्था लाभकारी होती है, क्योंकि समावेशी व्यवस्था में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आपको अलग-थलग महसूस नहीं करते हैं। सभी समान्य बच्चे उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और वे उनसे स्वस्थ शैक्षिक मुकाबला करते हैं। विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आपको शैक्षिक तौर पर कमज़ोर महसूस करते हैं और वे इनफ़ीरियोरिटी कॉम्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शैक्षिक प्रगति का स्तर कम रहता है। समावेशी शिक्षा का

चुनौतीपूर्ण और सहयोगात्मक शैक्षिक वातावरण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में स्वयं पर विश्वास की भावना को जागृत करता है।

अलैक्जेंडर व अन्य (2011) के मतानुसार शिक्षक, समावेशी शिक्षा को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिवर्तन के लिए सभी अध्यापकों की विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। वर्तमान अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया कि विशेष संसाधन शिक्षक, समावेशी शिक्षा के प्रति कैसी अभिवृत्ति रखते हैं और इसमें उनकी क्या भूमिका है? अध्ययन के निष्कर्षों में यह पाया गया कि अधिकांश विशेष संसाधन शिक्षक की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति धनात्मक थी, परंतु कुछ शिक्षकों की अभिवृत्ति ऋणात्मक भी थी।

शैक्षिक निहितार्थ

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को, शैक्षिक सामग्री को सीखने और समझने में कठिनाई होती है। जितनी जल्दी माता-पिता और शिक्षक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित कर लेंगे, उतनी जल्दी ही इस स्थिति से जुड़े घटकों की पहचान की जा सकती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक सामग्री बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उन शिक्षण-विधियों, प्रविधियों और शिक्षण-सामग्री की खोज की जानी चाहिए जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सभी बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।

इन बच्चों की यह विशेषता होती है कि उनका आत्म सम्मान कम होता है, जिसकी वजह से उनके व्यक्तिगत विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे बच्चे यह विश्वास करने लगते हैं कि उनकी सफ़लता और असफ़लता उनके कंट्रोल से बाहर है, जिसकी वजह से वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कठिन परिश्रम का सहारा नहीं लेते हैं। दूसरे शब्दों में, वे कठिन परिश्रम करना छोड़ देते हैं। अतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सभी लोगों, जैसे— माता-पिता, शिक्षक, कक्षा के साथियों के लिए यह ज़रूरी है कि वे एकजुट होकर इनकी शैक्षिक सफ़लता के लिए प्रयास करें। कक्षा में शिक्षक के समक्ष यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह जल्दी से जल्दी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करें, जिससे कि समयानुसार उनका निदान और उपचार किया जा सके।

आमतौर पर घरों में माता-पिता और विद्यालयों में शिक्षक बच्चों की पढ़ने/लिखने और वर्तनी की त्रुटियों को नज़र अंदाज़ कर देते हैं। वे यह समझते और मानते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये समस्याएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। अतः इस बात की सख्त ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ऐसे बच्चों की पहचान की जाए और इनका उपचार किया जाए। इस कार्य के लिए प्राचार्यों, शिक्षकों, माता-पिता, स्कूल के साथियों और दूसरे सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। शिक्षकों को समावेशी कक्षा-कक्ष में ऐसे बच्चों को अभिप्रेरित करना चाहिए और उनपर अपना विशेष व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए।

आज विशेष/संसाधन शिक्षकों के समक्ष यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वे व्यक्तिगत भिन्नता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए अध्यापकों को कैसे तैयार करें। आज इस बात की सख्त ज़रूरत है कि शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उचित फ़ेर-बदल किया जाए।

वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों से यह बात सिद्ध होती है कि समावेशी शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक निष्पत्ति स्तर में सुधार हुआ है। अत: शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर सामान्य बच्चों की तरह ही ध्यान दें और उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करें जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आत्मीयता से संभव हो सके।

संदर्भ

अरोड़ा, आर. 2011. *ए स्टडी ऑफ़ द इफ़ैक्ट ऑफ़ सैल्फ़ एस्टीम, एडप्टिव बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑन अचीवमेंट ऑफ़ चिल्ड्रन विद् स्पेशल नीड्स इन इन्क्लूसिव एंड स्पेशल स्कूलस,* पीएच.डी. (एजुकेशन), एम.जे.पी. रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली.

अलैक्ज़ेंडर, एट. ऑल. 2011. ''रेग्यूलर प्राइमरी स्कूल टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन'', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इन्क्लूसिव एजुकेशन*, 15(3).

एमएचआरडी, गवनर्मेंट ऑफ़ इंडिया. 2013. *ऐनुअल रिपोर्ट 2012-13*, डिपार्टमेंट ऑफ़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, नयी दिल्ली.

खान, जे. 2012. *ए स्टडी ऑफ़ द ऐटीट्यूड्स ऑफ़ टीचर्स एंड पेरेंट्स टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन एंड द इफैक्ट ऑफ़ इन्क्लूज़न ऑन एचीवमेंट ऑफ़ चिल्ड्रन विद् स्पेशल नीड्स*, पीएच.डी. (एजुकेशन), एम.जे. पी. रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली.

दीपशिखा, एस. 2010. *चैलेंजिस इन इन्क्लूसिव एजुकेशन एंड सर्विस प्रोविज़न्स-पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसिज़ इन इंडियन कॉन्टैक्स्ट.* नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली.

नायक, जे.सी. 2008. ''ऐटीट्यूड ऑफ़ पेरेंट्स एंड टीचर्स टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन'', *एजुट्रैक्स.* 7(6), 18-20.